जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

कार्यालय : समन्वयक, प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट – 2014

प्रो.(डॉ.) रमन कुमार दवे
समन्वयक

दूरभाष : (का.) 0291–2652653, 2635598 (फेक्स)
(नि.) 91– 0291–2510338, मोबाईल : 98290–22338

क्रमांक : जनावि / पीटीईटी / 2014 / 374 नवम्बर 11, 2014

प्राचार्य,
समस्त बी.एड. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः सत्र 2014–15 में आपके महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना एवं शुल्क राशि हस्तांतरण बाबत्।

महोदय,

आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि बी.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश पूर्व परीक्षा – 2014 के सफल अभ्यर्थियों को ऑन लाईन कॉउन्सलिंग द्वारा महाविद्यालय आंवटन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। यह कार्य जिस प्रकार से सुव्यवस्थित, सुचारु एवं स्वच्छ तरीके से सम्पन्न हो सका है वह आपके सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं था। इस हेतु आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद। अब शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों / संस्थानों को उनके यहां प्रवेश लेने वाले शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जमा करवाई गई शुल्क राशि का सम्बन्धित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार हस्तान्तरित करने का काम शुरु किया जाना है।

पिछले वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी महाविद्यालयों को शुल्क राशि नेट बैंकिग प्रक्रिया के माध्यम से हस्तान्तरित की जा रही है। इस हेतु महाविद्यालयों से पहले ही बैंक खाते के बारे में ऑन–लाईन के माध्यम से ही सूचना एकत्रित की गई थी। एकत्रित सूचना को वेबसाईट पर डाला जा रहा है जिसका अवलोकन महाविद्यालय वेबसाईट पर कर चाही गई सूचना अपलोडकर O.K. करें ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। इसी प्रकार महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों के बारे में कुछ सूचनाएँ भी ऑन–लाईन ही भरनी है। इस हेतु महाविद्यालय आवंटित प्रशिक्षणार्थियों की रिर्पोटिग हेतु लिये गये यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड से ही अपने एकाउन्ट में प्रवेश करें तथा वांछित को भरकर सूचना को O.K. करें तथा ऑन–लाईन प्रदान की गई सूचना से अग्रअंकित बिन्दु ब) के क्रमांक 1 से 4 तक में अंकित चार प्रकार की सूचियाँ का प्रिन्ट लें तथा इस कार्यालय को भिजवायें। चाहे गये स्थान पर महाविद्यालय के बैंक खाते के केन्सल्ड चेक एवं पास बुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें खाते की समस्त जानकारी हो, की साफ सुथरी स्केन ईमेज अपलोड करें।

इस हेतु सभी महाविद्यालय / संस्थान इस कार्यालय को निम्नलिखित **(बिन्दु संख्या अ एवं ब में चाही गई)** सूचनाएं ऑन लाईन / दस्तावेज अतिशीघ्र भिजवाएः

अ) निम्नलिखित प्रारुप में रु. 10 /– (रुपये दस) के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर **नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र**

मैं .... पुत्र / पुत्री श्री ...., प्राचार्य, ..., ... (महाविद्यालय / संस्था का नाम एवं पूर्ण पता) शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ किः

1. यह है कि महाविद्यालय का बैंक खाता महाविद्यालय के हुबहू नाम के अनुरूप खोला गया है तथा मुझे यह पता है कि शुल्क राशि का भुगतान केवल महाविद्यालय के नाम से खोले गये बैंक खाते में ही किया जाना है।
2. यह है कि महाविद्यालय ने वेबसाईट पर उपलब्ध महाविद्यालय के बैंक खाते से सम्बन्धित सूचना का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है तथा इसको O.K. कर दिया है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि रहने पर महाविद्यालय स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा।

3. इस महाविद्यालय/संस्थान की सभी सीटों पर उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है जिनको इस महाविद्यालय/संस्थान का आंवटन एन.आई.सी. द्वारा ऑन लाइन कॉउन्सलिंग द्वारा किया गया है। इसके अलावा किसी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी को प्रवेश नहीं दिया गया है।

4. महाविद्यालय/संस्थान को आंवटित सभी अभ्यर्थियों के निर्धारित पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों की गहन जाँच के बाद पात्र अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया गया है। महाविद्यालय/संस्थान में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता नहीं रखने वाले किसी अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं हुआ हैं।

5. महाविद्यालय/संस्थान में आंवटित किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया है जिसको **बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा (मुख्य/पूरक/पुनःमूल्याकंन जो भी लागू हो) का परिणाम 30 जुलाई, 2014 के बाद जारी हुआ है।**

6. महाविद्यालय को आवंटित/प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :

1) महाविद्यालय में कॉउन्सलिंग चरणानुसार कुल प्रविष्ठ प्रशिक्षणार्थी संख्या का विवरण :

कॉउन्सलिंग चरणः	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	न्यायालय/ राजकीय आदेशानुसार प्रवेश	कुल प्रवेश
महाविद्यालय को आवंटित (Allotted) शिक्षक प्रशिक्षणार्थी संख्या :					
महाविद्यालय में प्रविष्ठ (Reported/ Admitted) शिक्षक प्रशिक्षणार्थी संख्या :					

2) महाविद्यालय की श्रेणी : .... (यथा राजकीय/निजी के साथ महिला/सह–शिक्षा)

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क राशि रु.22,450/– (2000+20450) जमा करने वाले प्रशिक्षणार्थी संख्या		शुल्क राशि रु. 2000/– मात्र जमा करने वाले प्रशिक्षणार्थी संख्या	
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1	सामान्य श्रेणी				
2	अनुसूचित जाति				
3	अनुसूचित जनजाति				
4	अन्य पिछड़ा वर्ग				
5	विशेष पिछड़ा वर्ग				

7. महाविद्यालय/संस्थान को आंवटित सभी अभ्यर्थियों द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करवाये गये शुल्क रु.2,000/– एवं शेष **शुल्क राशि रु.20,450/–** की मूल रसीदों की जाँच कर ली गई है। महाविद्यालय/संस्थान में सभी प्रवेश लेने वाले शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रत्येक ने नियमानुसार जमा की जाने वाले शुल्क जमा के चालान पेश किये हैं जिनकी पूर्ण जाँच कर ली गई है एवं मूल चालान/सत्यापित प्रति महाविद्यालय रिकॉर्ड में जमा कर सुरक्षित रखे गये हैं।

8. महाविद्यालय/संस्थान को आंवटित अभ्यर्थियों में से **बी.एड.** पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता नहीं रखने वाले एवं शुल्क मुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के अलावा बिना शुल्क जमा करवाये किसी अभ्यर्थी का प्रवेश महाविद्यालय/संस्थान में नहीं हुआ है। इसी प्रकार आंवटित अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी को बिना ऑन लाइन रिपोर्टिंग के प्रशिक्षण अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार के किसी अभ्यर्थी का प्रशिक्षण जारी रहता है तो यह महाविद्यालय/संस्थान इस हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा।

9. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सूची संख्या 1 से 4 में अंकित प्रशिक्षणार्थियों की श्रेणी एवं पारिवारिक वार्षिक आय से सम्बन्धित मूल दस्तावेजों की जाँच कर ली गई है तथा उसके अनुसार ही सूचिया तैयार की गई है। महाविद्यालय/संस्थान को यह पता है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ऐसे प्रशिक्षणार्थी की शुल्क राशि प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय हकदार नहीं रहेगा। महाविद्यालय ने प्रशिक्षणार्थियों की श्रेणी/शुल्क मुक्ति हेतु दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जाँच कर इनकी सत्यप्रतियाँ/मूल रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रख लिया है। पीटीईटी/राज्य सरकार द्वारा इन दस्तावेजों की कभी भी मांग करने पर महाविद्यालय/संस्थान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होगा।

10. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा उपरोक्त प्रकार से प्रदत सभी सूचनाएँ सही है। इनमें से किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय / संस्थान की होगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

ब) महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश दिये गये शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की ऑन–लाईन सूचना तैयार कर **अलग–अलग चार श्रेणी की सूचीयाँ** प्रिन्ट कर **दो प्रतियों** (two copies) में आवश्यक रुप से भेजें:

1) **सूची संख्या – 1** (सूची संख्या – 1 में कुल प्रशिक्षणार्थी संख्या ....)
सूची में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले **केवल सामान्य श्रेणी (Only General Category)** के प्रशिक्षणार्थियों की सूचना अंकित करनी है।

S. No.	Roll No.	Student's Name	Father's Name	Category	Percentage of Marks obtained at Graduation Level	Percent age of Marks obtained at PG Level	Date of Result UG/PG (Main/ Supplementary/ Re-evaluation) on which eligibility of Candidate is decided	Date of Fee Rs. 2000/-	Bank Branch Name (BOB Bank)	Amount of Remaining Fee Rs.20,450/-	Date of Deposit of Remaining Fee	Bank Branch Name (BOB Bank)	Remarks \ Annual Income
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14

2) **सूची संख्या – 2** (सूची संख्या – 2 में कुल प्रशिक्षणार्थी संख्या ....)
सूची में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाती (SC) / अनुसूचित जनजाती (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / विशेष पिछड़ा वर्ग(SBC) के समस्त प्रशिक्षणार्थियों की सूचना अंकित करनी है चाहे उनकी पारिवारिक वार्षिक आय कुछ भी हो)

S. No.	Roll No.	Student's Name	Father's Name	Category	Percentage of Marks obtained at Graduation Level	Percent age of Marks obtained at PG Level	Date of Result UG/PG (Main/ Supplementary/ Re-evaluation) on which eligibility of Candidate is decided	Date of Fee Rs. 2000/-	Bank Branch Name (BOB Bank)	Amount of Remaining Fee Rs.20,450/-	Date of Deposit of Remaining Fee	Bank Branch Name (BOB Bank)	Remarks \ Annual Income
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14

3) **सूची संख्या – 3** (सूची संख्या – 3 में कुल प्रशिक्षणार्थी संख्या ....)
सूची में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले ऐसे **अनुसूचित जाती (SC) / अनुसूचित जनजाती (ST) (जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है)** तथा **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) (जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख से कम है)** के समस्त प्रशिक्षणार्थियों का अंकन करना है जो इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 10 / 2014 दिनांक 10–08–1014 के अनुसार शुल्क मुक्ति के हकदार थे, परन्तु **वे शुल्क राशि रु.20,450 / – भी जमा करवा चुके हैं तथा निर्धारित तिथी तक महाविद्यालय में पारिवारिक आय का प्रमाण–पत्र जमा कर शुल्क मुक्ति लेना चाहते हैं।**

S. No.	Roll No.	Student's Name	Father's Name	Category	Percentage of Marks obtained at Graduation Level	Percent age of Marks obtained at PG Level	Date of Result UG/PG (Main/ Supplementary/ Re-evaluation) on which eligibility of Candidate is decided	Date of Fee Rs. 2000/-	Bank Branch Name (BOB Bank)	Amount of Remaining Fee Rs.20,450/-	Date of Deposit of Remaining Fee	Bank Branch Name (BOB Bank)	Remarks \ Annual Income
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14

4) **सूची संख्या – 4** (सूची संख्या – 4 में कुल प्रशिक्षणार्थी संख्या ....)
सूची में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले ऐसे **अनुसूचित जाती (SC) / अनुसूचित जनजाती (ST) (जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है)** तथा **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) (जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख से कम है)** के समस्त प्रशिक्षणार्थियों का अंकन करना है **जिनको इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 10 / 2014 दिनांक 10–08–1014 के अनुसार शुल्क मुक्ति के हकदार होने के कारण बिना शुल्क जमा किये प्रवेश प्रदान किया गया है।**

S. No.	Roll No.	Student's Name	Father's Name	Category	Percentage of Marks obtained at Graduation Level	Percent age of Marks obtained at PG Level	Date of Result UG/PG (Main/ Supplementary/ Re-evaluation) on which eligibility of Candidate is decided	Date of Fee Rs. 2000/-	Bank Branch Name (BOB Bank)	Amount of Remaining Fee Rs.20,450/-	Date of Deposit of Remaining Fee	Bank Branch Name (BOB Bank)	Remarks \ Annual Income
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14

कृपया उपरोक्त बिन्दु ब) में चाही गई सूची सं. 1 से 4 की सूचना ऑन–लाईन भरें तथा सूचियों का प्रिन्ट लें तथा इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें। महाविद्यालय/संस्थान में यदि किसी प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश न्यायालय के आदेश से हुआ है तो प्रवेशार्थी का पूर्ण विवरण मय याचिका संख्या, दिनांक, प्रकरण इत्यादि का विवरण अलग सीट पर देते हुए सूचना भेजें। कृपया ऐसे प्रशिक्षणार्थी को मूल सूची से अलग रखते हुए सूचना प्रेषित करें। ऐसे प्रशिक्षणार्थी की ऑन लाईन रिर्पोटिंग हो चुकी है या नहीं का विवरण भी स्पष्ट अंकित करें।

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सभी सूचनाएं हूबहू प्रारूप में सही–सही सावधानी पूर्वक देते हुए इस कार्यालय में भेजें। सूचना प्राप्त होते ही राज्य सरकार के आदेशानुसार आपके महाविद्यालय/संस्थान को शुल्क राशि का 75 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में तुरन्त हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

कृपया उपरोक्त सूचनाएं इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करें ताकि शुल्क राशि का तुरन्त हस्तांतरण किया जा सके।

धन्यवाद।

भवदीय

RDave

(प्रो. रमन कुमार दवे)
समन्वयक, पीटीईटी